<u>उत्तर प्रदेश शासन</u>
<u>पर्यटन अनुभाग</u>
संख्या-733/2023/9852/41-2023-15-जि०यो०-2023
लखनऊ दिनांक 12 अक्टूबर, 2023
<u>का शुद्धि पत्र</u>

महानिदेशक, पर्यटन, उ०प्र० लखनऊ के पत्रांक 4820/7-1-1/(जि०यो०)/मुत्पत्रा०/2022-23, दिनांक 09.10;2022 द्वारा किये गये प्रस्तावानुसार जनपद मैनपुरी शहर में स्थित मयनाऋषि आश्रम के पर्यटन विकास कार्य की अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धी जारी शासनादेश संख्या- 667/2023/4353/001-41-2023-15-जि0यो0-2023, दिनांक 27 सितम्बर, 2023 के पुष्ठांकन सं०-04 पर 'अंकित मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ के स्थान पर 'मुख्य कोषाधिकारी, आगरा एवं **पृष्ठांकन सं0-10** पर अंकित 'क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी/आहरण वित्तरण अधिकारी, झांसी *के स्थान पर **संयुक्त निदेशक, पर्यटन/ आहरण वितरण अधिकारी आगरा** एततद्वारा अंकित किया जाता है।

2- तदनुसार शासनादेश दिनांक 27 सितम्बर, 2023 उक्त सीमे शासनादेश की शर्तें शेष शर्ते एवं प्रतिबन्ध यधावत रहेंगे। anadesh.up तक संशोधित समझा/पढ़ा जाय।

रामेश्वर सिंह
अनु सचिव ।

<u>संख्या व दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
3- जिलाधिकारी, सैनपुरी।
4- मुख्य कोषाधिकारी, आगरा।
5- वित्त नियंत्रक पर्यटन निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
6- उप निदेशक, पर्यटन निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।
7- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
8-परियोजना प्रबन्धक, उ०प्र० प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि०, निर्माण इकाई-4, आगरा।
9-वित्त व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
10- संयुक्त निदेशक, पर्यटन/आहरण वितरण अधिकारी, आगरा।
11- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(रामेश्वर सिंह)
अनु सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।